

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in)  
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 302]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 जून 2017—आषाढ़ 9, शक 1939

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल  
अधिसूचना

क्रमांक एफ ए 3-24/2017/1/पांच (49)

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 10 की उप धारा (2) के खण्ड (ड.) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, जी.एस.टी. परिषद् की अनुशंसा पर, एतद्वारा, यह अधिसूचना करती है कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 10 की उप धारा (1) के अधीन प्रशमन उद्ग्रहण का विकल्प चुनने के लिए पात्र नहीं होगा, यदि ऐसा व्यक्ति माल का विनिर्माता है, जिसका विवरण नीचे सारणी के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और उक्त सारणी के कॉलम (2) में तस्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार, यथास्थिति, टैरिफ मद, उप शीर्ष, शीर्ष या अध्याय के अधीन आता है:-

सारणी

अनुक्रमांक	टैरिफ पद, उपशीर्ष, शीर्ष या अध्याय	विवरण
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	आइसक्रीम और अन्य खाद्य बर्फ, चाहे उसमें कोको मिला है या नहीं
2.	2106 90 20	पान मसाला
3.	24	सभी माल, अर्थात् तम्बाकू और विनिर्मित तम्बाकू अनुकल्प

2. यह अधिसूचना 1 जुलाई, 2017 से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्रमांक एफ ए 3-24/2017/1/पांच

भोपाल, दिनांक 30/06/2017

भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-24/2017/1/पांच (49), दिनांक 30 जून, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रसारित किया जाता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
अरूण परमार, उपसचिव.

## NOTIFICATION

Bhopal, Dated : 30/06/2017

No. F A 3-24/2017/1/FIVE(49)

In exercise of the powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 10 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), the State Government, on the recommendation of the G.S.T. Council, hereby, notifies that a registered person shall not be eligible to opt for composition levy under sub-section (1) of section 10 of the said Act if such person is a manufacturer of the goods, the description of which is specified in column (3) of the table below and falling under the tariff item, sub-heading, heading or Chapter, as the case may be, as specified in the corresponding entry in column (2) of the said table, namely :-

TABLE

S.No.	Tariff item, sub-heading, heading or Chapter	Description
(1)	(2)	(3)
1.	2105 00 00	Ice cream and other edible ice, whether or not containing cocoa
2.	2106 90 20	Pan masala
3.	24	All goods, i.e. Tobacco and manufactured tobacco substitutes

## Explanation.-

- (1) In this Table, "tariff item", "sub-heading" and "chapter" shall mean respectively a tariff item, sub-heading, heading and chapter as specified in the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975)
  - (2) The rules for interpretation of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975) including the section and Chapter Notes and the General Explanatory Notes of the first Schedule shall, so far as may be, apply to the interpretation of this notification.
2. This notification shall deemed to have come into force from 1st July 2017.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
ARUN PARMAR, Dy. Secy.